[illegible]

24/2024

[illegible] वादी व [illegible] वादी उपस्थित वादी की ओर से प्रार्थना पत्र वाद पत्र की विक्रय किये जाने का पेश किया प्रार्थना पत्र पर वादी को सुना गया। प्रार्थी/वादी की प्रार्थना उनके अभिभाषक द्वारा की गई प्रार्थी/वादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र वाद पत्र को विक्रय किया जाने का स्वीकार किया जाकर वादी की वाद का विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदिनुसार वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण मौखिक सुनवाई [illegible] वाद नामंजूर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर जिला (बीकानेर)

3/4/24

[illegible]

[illegible]

(1) [illegible]

03.04.24

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:21:57 IST
Reason: SelfAttested